राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

8,अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2020–21/3255 भोपाल, दिनांक 02/06/2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :– कोविड–19 महामारी के दौरान समुदाय से चिकित्सकीय जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उनका संस्थागत रेफरल व प्रबंधन बाबत्।

विषयांतर्गत लेख है कि कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु किए गए लॉकडाउन के कारण माह मार्च 2020 से प्रदेश भर में आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं प्रभावित हुई हैं। किसी भी परिस्थिति में माताएं तथा बच्चे विशेषकर गंभीर रूप से बीमार व कुपोषित बच्चे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। **ज्ञातव्य हो कि गंभीर कुपोषित बच्चों में स्वस्थ बच्चों की तुलना में आम बाल्यकालीन बीमारियों से मृत्यु का 9–20 गुना अधिक खतरा रहता है।** इन बच्चों के संस्थागत प्रबंधन हेतु प्रदेश में 318 पोषण पुनर्वास केन्द्र/एस.एम.टी.यू स्थापित हैं। एन.आर.सी. एम.आई.एस. में माह अप्रैल एवं माह मई 2020 के प्रतिवेदित डेटा अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्रों की बेड आक्यूपेंसी दर मात्र 7 प्रतिशत व 4 प्रतिशत क्रमशः रही, इसका मूल कारण समुदाय से न्यून रेफरल है। माह अप्रैल 2020 में कुल भर्ती 165 बच्चों में से केवल 15 प्रतिशत बच्चे ही आंगनवाडी/ आशा कार्यकर्ता द्वारा रेफर किए गए। विदित हो कि वर्तमान कोविड–19 महामारी परिस्थिति में समुदाय स्तर पर बच्चों में नियमित वृद्धि निगरानी एवं वज़न/लंबाई मापन से गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान नहीं की जा रही है।

प्रदेश में कुपोषण की अधिक समस्या प्रायः माह अप्रैल से सितम्बर के मध्य देखी जाती है जब अधिकांश ग्रामों में रोजगार के लिए पलायन से लौटे परिवारों के बच्चे गंभीर कुपोषित चिन्हित होते है और एन.आर.सी. अपनी क्षमता से अधिक बच्चों को भर्ती करते हैं। कोविड–19 लॉकडाउन में उपरोक्त स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है क्योंकि प्रदेश में दूसरे राज्यों से पलायन कर मजदूर अपने परिवार के साथ घर वापस लौट रहें हैं। **अतः समुदाय स्तर पर गंभीर कुपोषित बच्चों के त्वरित चिन्हांकन एवं संस्थागत रेफरल हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं:–**

1. **गंभीर कुपोषण की पहचान :–**
   - आशा कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी से समन्वय कर पूर्व में चिन्हित अति कम वज़न/ गंभीर कुपोषित बच्चे तथा एस.एन.सी.यू/एन.आर.सी से छुट्टी प्राप्त बच्चों की सूची संकलित की जाये। अमूमन 1000 की जनसंख्या वाले गांव में 5 वर्ष से कम उम्र के इस प्रकार के लगभग 10–15 बच्चे होगें।
   - इन बच्चों की घर–घर जाकर एम.यू.ए.सी. टेप द्वारा सक्रिय स्क्रीनिंग की जाये, 11.5 सें.मी. से कम एम.यू. ए.सी. वाले बच्चे गंभीर कुपोषित है।
   - 6 माह से कम उम्र के शिशुओं में एम.यू.ए.सी. मापन नहीं किया जाता, इनमें visible wasting, स्तनपान न करना/स्तनपान में कठिनाई, दोनों पैरों में गड्ढे पडने वाली सूजन आदि चिकित्सकीय जटिलताएं आंकि जाए।
   - व्ही.एच.एन.डी पर ए.एन.एम द्वारा भी टीकाकरण के लिए मोबिलाईज़ किए गए बच्चों में गंभीर कुपोषण तथा चिकित्सकीय जटिलताएं जैसे तेज़ बुखार, दस्त, निमोनिया, गंभीर एनीमिया, सुस्तपन, त्वचा संबंधी संक्रमण, दोनों पैरों में गड्ढे पडने वाली सूजन आदि का परीक्षण किया जाए।
   - **उक्त के अतिरिक्त HBYC संबंधी फॉलोअप गृह भेंट के दौरान तथा दूसरे राज्यों से पलायन कर मज़दूर परिवारों के बच्चों में विशेष रूप से गंभीर कुपोषण की पहचान की जाए।**
   - आशा द्वारा चिन्हित गंभीर कुपोषित बच्चों की नामजद सूची आवश्यक रूप से संधारित की जाए।

2. **चिकित्सकीय जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत रेफरलः–**
   - **ग्राम में चिन्हित समस्त गंभीर कुपोषित बच्चों में यदि चिकित्सकीय जटिलताएं जैसे दोनों पैरों में गड्ढे पडने वाली सूजन/तेज़ बुखार (>39°C/ >102°F), शरीर का तापमान कम होना (<35°C/ <95°F), उल्टी–दस्त, निमोनिया, गंभीर एनीमिया, सुस्तपन/भूख न लगना, त्वचा संबंधी संक्रमण आदि परिलक्षित होती है तो इन्हें 108 अथवा जननी एक्सप्रेस वाहन द्वारा निकटस्थ पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती हेतु निःशुल्क रेफरल किया जाये।**

- <u>प्रत्येक बच्चे के रैफरल पर राशि रू 100/– प्रोत्साहन राशि निहित है।</u>
- यदि चिन्हित गंभीर कुपोषित बच्चे में चिकित्सकीय जटिलता न हो तो माता/देखभाल कार्यकर्ताओं को ए. एन.एम/ आशा कार्यकर्ता द्वारा शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहारों, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषण आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि पर समझाईश दी जाये तथा बच्चे में चिकित्सकीय जटिलता के संबंध में सचेत रहने की सलाह दी जाए।
- **आशा/ ए.एन.एम द्वारा रेफर किए गए बच्चे की जानकारी एन.आर.सी चिकित्सा प्रभारी व पोषण प्रशिक्षक को अनिवार्य रूप से सांझा की जाए** जिससे कोविड –19 स्क्रीनिंग संबंधी औपचारिकताओं का पालन किया जा सके व संदर्भित बच्चे व उसकी माता/देखभालकर्ता को अनावश्यक अस्पताल में भटकना न पड़े।
- आशा द्वारा संदर्भित बच्चों के परिवारों को समझाईश दी जाए कि बच्चे में चिकित्सकीय जटिलता सामान्य होने पर तथा भूख वापस आने पर (सामान्यतः 5–6 दिनों में) एन.आर.सी से छुट्टी की जाएगी, अनावश्यक बच्चों को 14 दिन एन.आर.सी में नहीं रखा जाएगा।
- इसके अतिरिक्त एन.आर.सी में भर्ती अवधि के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, भोजन एवं मज़दूरी क्षतिपूर्ति भत्ता प्रावधानित हैं, इस पर आशा द्वारा विशेष रूप से चर्चा की जाए।

3. **गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान पर मैदानी अमलों का क्षमता वर्धन एवं मॉनिटरिंग :–**
   - आशा को गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु सटीक एम.यू.ए.सी मापन एवं चिकित्सकीय जटिलताओं पर प्रशिक्षित किया जाए, इस हेतु दस्तक अभियान में प्रशिक्षित ए.एन.एम द्वारा on-site प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
   - इस हेतु सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध वीडिओ एन.एच.एम की वेबसाईट http://www.nhmmp.gov.in/media_video.aspx पर अपलोड की गई है। इन वीडियो का उपयोग कर जिला/ब्लॉक कम्यूनिटी मोबिलाईजर द्वारा आशा सहयोगिनी व आशाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्षमता वर्धन किया जाए।
   - **<u>कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आशा कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट के दौरान मास्क व सानिटाईज़र का उपयोग किया जाए, प्रत्येक बच्चे की एम.यू.ए.सी मापन उपरांत टेप को भी सानिटाईज किया जाना सुनिश्चित करें।</u>**
   - क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनशिएटिव (CHAI) संस्था के विकासखण्ड स्तरीय समन्वयकों द्वारा स्वास्थ्य अमलों के क्षमता वर्धन व चिकित्सकीय जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान व रेफरल की मॉनिटरिंग में सहयोग लिया जाए।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2020–21/ 7256 भोपाल, दिनांक 02/06 /2020

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. उप संचालक, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनशिएटिव (CHAI) भोपाल, मध्यप्रदेश को <u>आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं उक्त निर्देश की प्रति अधीनस्थ विकासखण्ड स्तरीय समन्वयकों को पालनार्थ उपलब्ध करायें।</u>
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम, मध्यप्रदेश